न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या – 138/2018

आरसीएमएस नं. 2018/00262

नगरपालिका भादरा जिला हनुमानगढ़ जरिये अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, भादरा जिला हनुमानगढ़।

–– अपीलांट

बनाम

जितेन्द्र कुमार पुत्र मदनलाल जाति अग्रवाल निवासी सैक्टर नम्बर–2, भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

––रेस्पोडेंट

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध आदेश दिनांक 20.06.2016
द्वारा उपखण्डाधिकारी, भादरा
अनवान ''जितेन्द्र बनाम नगरपालिका भादरा'' प्र. सं. 164/2013
उपस्थितिः–

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलांट

श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता रेस्पोडेंट

निर्णय दिनांक 08.02.2023

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र अन्तर्गत धारा 91, 92 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बअनवानी ''जितेन्द्र कुमार बनाम नगरपालिका भादरा'' प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी की खातेदारी चक 8 बारानी में एक खेत निस्फ आसा पासा का स्थित है जिसके उत्तर में खेत रूघलाल पुत्र मलुराम, दक्षिण में खेत मनीराम व पूर्व में वादी परिवार की अन्य खातेदारी आदि पश्चिम में खेत राजबीर आदि व सत्यनारायण स्थित है। वादी का उक्त खेत जो दावाधीन खातेदारी के अन्दर लगते हुए है निम्न किलों व मुरबों में है। मुरबा नम्बर 55 के किला नम्बर 8, 9, 11, 12, 13, 20, 21 में स्थित है। उक्त खेत के चारों तरफ कदीमी सींव डोल बनी हुए है और सभी पक्षकारान अपनी पुरानी सींव डोल के अनुसार काबिज हैं व काश्त करते हैं। वादी भी पुरानी सींव के अन्दर काश्त करता है। उक्त रकबा का एकीकरण अधुरा है इसलिए खेतों की सींव किलों मुरबों के मुताबिक न होकर पुराने जमाने के चले आ रहे खसरों के मुताबिक बनी हुई है और पुख्ता तौर से किलों मुरबों के मुताबिक सींव कायम न होने के कारण वादी को अधिकार है कि जब तक एकीकरण विभाग

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

किलों मुरबों के मुताबिक नये सीरे से कायम करके सभी काश्तकारों को उनके नये सीवों के मुताबिक काबिज नहीं बनाता है तब तक वादी भी अपनी सींव के मुताबिक अपने खेत पर कब्जा बनाए रखने का अधिकारी है। दिनांक 26.07.2013 को नगरपालिका के अधिकारी व कर्मचारीगण वादी के खेत में आये व बताया कि तुम्हारे कब्जा काश्त वाला चक 8 बारानी के मु0नं0 55 के किला नम्बर 20, 21 की 0.506 हैक्टेयर नगरपालिका के नाम हमने दर्ज करवा ली है इसलिए हम सभी भी इस जमीन का कब्जा आपसे लेकर अन्य को अलॉट कर सकते हैं। इस पर वादी ने हल्का पटवारी से सम्पक्र कर कागजात की नकलें ली तो वादी को पता चला कि उसके खेत की दो बीघा जमीन जो मु0नं0 55 के किला नम्बर 21 में स्थित है, बिना वादी को नोटिस व सूचना दिये प्रतिवादी के नाम दर्ज कर दी गई है जबकि उक्त सारी भूमि वादी के खेत का भाग है जिसके दक्षिण व पश्चिम व पूर्व तीन तरफ पुराने समय से ईंटों के पिल्लर बनाकर उस पर तारबन्दी पुराने समय से की हुई है जिसमें एक बड़ा झौपड़ा जिसमें काश्त का सामान रखा हुआ है, बना हुआ है तथा मौजूदा में फसल ग्वार बिजी हुई है जो करीब एक एक फुट खड़ी है। वादी खिलाफ प्रतिवादी इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा पारित करवाने का मजाज कानूनी है कि वादी का कब्जा नियमित व अधिकार पूर्ण है जिसे बिना न्यायालय की सुनवाई व आदेश के बिना वादी का कब्जा काश्त व आधिपत्य में किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत व अतिक्रमण करने का अधिकार प्रतिवादी को नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी ने उपस्थित होकर जवाबदावा पेश कर उक्त दो बीघा भूमि नगरपालिका के नाम दर्ज होना व वादी का कब्जा अतिक्रमी की हैसियत से होना कथन करते हुए दावा खारिज किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने बहस सुनकर वादी के वाद पत्र को स्वीकार कर दिनांक 20.06.2016 को निर्णय पारित किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील दफा–5 मियाद अधिनियम के साथ पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 22.12.2014 को तनकीयात कायम करने हेतु पत्रावली दिनांक 04.03.2015 मुकर्रर की, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने कोई तनकी विरचित न कर दिनांक 20.06.2016 को दोनों फरीकेन की बहस होना अंकित कर निर्णय पारित किया है। बिना तनकीयात कायम किये निर्णय पारित नहीं होना चाहिए था। चक 8 बारानी के मुरबा नम्बर 55 के किला नम्बर 8, 9, 11, 12, 13, 20, 21 में होने के कथन रेस्पोडेंट ने अपने वाद पत्र में किये, लेकिन किला नम्बर 20 व 21 के सम्बंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं थी। रिपोर्ट हिदनांक 30.06.2014 के अनुसार अपीलांट को उपरोक्त 20 व 21 का कब्जा सौंपा गया था तथा मौका पर रकबा खाली होना व निर्माण नहीं होने का उल्लेख है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से मौके पर रेस्पोडेंट की तारबंदी व फसल ग्वार व झौपड़ी होने की विवेचना कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। प्रश्नगत भूमि पर रेस्पोडेंट का कोई स्वत्व सिद्व नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विरोधाभासी है। रेस्पोडेंट ने अपनी खातेदारी भूमि होना मानकर प्रस्तुत किया है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने कब्जे के नियमन को प्राथमिकता देने का आदेश पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

किया है। दफा–5 पर अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय बाबत अपीलांट को किसी प्रकार की सूचना समयावधि में प्राप्त नहीं हुई तथा अब रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट की भूमि पर से अपना स्वत्व छोड़ देने एवं रेस्पोडेंट का स्वामित्व स्वीकार करने हेतु मौखिक रूप से जिक्र किया गया तब अपीलांट ने अपने अधिवक्ता से सूचना चाही तो उनके द्वारा समस्त जानकारी देने के पश्चात अपीलांट ने अपीलाधीन निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी अपीलांट को देने हेतु उपखण्डाधिकारी के यहां आवेदन दिये। तत्पश्चात् उपखण्ड अधिकारी भादरा को अपने पत्र क्रमांक न.पा.भा./2017–18/1030–34 दिनांक 15.03.2018 से अपीलाधीन निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 26.04.2018 को नकल उपलब्ध करवाए जाने पर अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का ज्ञान होने से अपील ज्ञान के भीतर अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है तथा निवेदन किया कि अपील अपीलोंट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

4. रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि चक 8 बारानी के मुरब्बा नं0 55 के किला नम्बर 20, 21 दो बीघा कृषि भूमि उसके खेत के चिपते हुए तथा उसके चारों ओर रेस्पोडेंट की सींव बनी हुई है। उपरोक्त भूमि रेस्पोडेंट के आधिपत्य व धारण में है लेकिन उपरोक्त भूमि को बिना रेस्पोडेंट को नोटिस दिये नगरपालिका ने अपने नाम दर्ज करवा लिया। उपरोक्त भूमि में तारबंदी व झौपड़ी बनी हुई है। इस सम्बंध में पटवारी हल्का की रिपोर्ट में उल्लेख आया है। इसके अलावा कमिशनर रिपोर्ट में भी उपरोक्त भूमि पर रेस्पोडेंट का कब्जा दर्शाया है स्वयं नगरपालिका ने भी कब्जा होना माना है। दोनों पक्षों की उपस्थिति में बहस सुनी गई है तथा अपीलांट के अधिवक्ता ने अंतिम बहस हेतु सहमति देने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने बहस सुनी जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधि सम्मत है। दफा–5 मियाद अधिनियम पर रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 20.06.2.016 की है जबकि अपीलांट द्वारा उक्त अपील दिनांक 16.05.2018 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम में यह कथन किये हैं कि निर्णय बाबत अपीलांट को किसी प्रकार की सूचना समयावधि में प्राप्त न होने के कथन निराधार है। जब अपीलांट के अधिवक्ता की उपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है तो इसकी सूचना अपीलांट को होना स्वतः ही मानी जायेगी। अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट की भूमि पर अपना स्वत्व छोड़ने व रेस्पोडेंट का स्वामित्व स्वीकार करने हेतु मौखिक रूप से जिक्र करने के कथन किये हैं। अपीलांट के उक्त कथन विशिष्ट तात्विकों का अभाव लिये हुए है। अपीलांट ने यह स्पष्ट नहीं किया कि कौनसी तारीख, महीना व वर्ष में रेस्पोडेंट द्वारा जिक्र किया गया। वस्तुतः रेस्पोडेंट ने ऐसा कोई जिक्र किया ही नहीं। उसके पश्चात अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में पत्र क्रमांक 1030–34 दिनांक 15.03.2018 का उल्लेख किया है तथसा उसके आधार पर नकल प्राप्त करने के कथन किये हैं। जबकि पत्र दिनांक 15.03.2018 में पत्र दिनांक 27.02.2018 का उल्लेख किया गया है, लेकिन ऐसा कोई पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। दिनांक 27.02.2018 की सूचना अपीलांट द्वारा किस उद्वेश्य से मंगवाई गई ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। उक्त पत्र उपखण्ड अधिकारी महोदय को प्राप्त हो गया है इस सम्बंध में भी कोई उल्लेख नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

उक्त पत्र में निर्णय की प्रति दो बार आवेदन करने के उल्लेख है लेकिन उक्त आवेदन कौनसी तारीख को किया गया ऐसा कोई उल्लेख नहीं है तथा न ही ऐसी कोई नकल प्रस्तुत की गई है। ऐसा कोई आवेदन किया जाता तो अपीलांट अपने कार्यालय में इसकी प्रति अवश्य रखता। अपीलाधीन निर्णय की नकल पत्र क्रमांक 1030–34 दिनांक 15.03.2018 के आधार पर प्राप्त नहीं हुई बल्कि दिनांक 23.04.2018 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 26.04.2018 को दी गई है। अपीलांट ने अपने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने अधिवक्ता को कोई पत्र लिखा अथवा उसकी सूचना नहीं देने पर उसके विरूद्व कोई कार्यवाही की है, ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। बकौल अपीलांट 27.02.2018 को अपीलाधीन निर्णय व डि क्री का ज्ञान हो गया व ज्ञान के बावजूद भी अपीलांट द्वारा सजगता नहीं दर्शायी बल्कि नकल दिनांक 26.04.2018 को प्राप्त होने के कथन किये गये है। इसके अलावा अपीलांट ने पत्र न.प.भा./2018–19/1599 दिनांक 04.05.2018 श्री विजय कौशिक को जारी किया गया है व वाद पत्र में जवाबदावा हेतु जारी किया गया है। इसके अलावा यहां यह भी स्पष्ट है कि नगर पालिका भादरा के जब वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तो इंतकाल में मौके पर कब्जा रेस्पोडेण्ट जितेन्द्र बंसल का बताया गया है तथा मौका कमिश्नर ने भी कब्जा जितेन्द्र बंसल का होना कमीश्नर रिपार्ट में दर्ज किया है। रेस्पोडेंट नियमानुसार नगरपालिका भादरा में नियमन की राशि जमा करवाने के लिए भी तैयार है ऐसी स्थिति में उसे बेदखल किया जाना उचित नहीं है। कानूनन प्रत्येक दिन डिले का कारण अपीलांट को बताना चाहिए था लेकिन डिले का कोई उचित कारण नहीं दर्शाया है। रेस्पोडेंट ने अपनी बहस के समर्थन में सीसीसी 2021 (4) पेज 397 , सीसीसी 2022 (2) पेज 158, एआईआर 2019 पेज 1747, सीसीसी 2022 (1) पेज 534, आरआरटी 2018 (1) पेज 188, आरआरटी 2021 (2) पेज 1318, आरआरटी 2018–2019 पेज 218, आरबीजे 2021 पेज 278 न्यायिक दृष्टांत पेश किये तथा निवेदन किया कि अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. सर्वप्रथम दफा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित किया जाना न्यायोचित है। अपीलांट ने अपने दफा–5 मियाद अधिनियम कें प्रार्थना पत्र में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की सूचना समयावधि में प्राप्त नहीं होने का उल्लेख किया है। इसके अलावा अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में अब रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट की भूमि से अपना स्वत्व छोड़ देने एवं रेस्पोडेंट का स्वामित्व स्वीकार करने हेतु मौखिक रूप से जि क्र किया तब अपीलांट ने अपने अधिवक्ता से सूचना चाही, लेकिन इस सम्बंध में कोई दिनांक, महीना व सन् का उल्लेख नहीं किया तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न.प.भा./2017–18/1030–34 दिनांक 15.03.2018 में अपील में निर्णय दिनांक 19.09.2017 खारिज होने की सूचना अधिवक्ता से 27.02.2018 को मंगवाए जाने का कथन किया है। जब अपीलांट अपील के विविध अपील के निर्णय होने के पश्चात् सूचना मंगवा रहा है तथा दावा इससे पूर्व निर्णित हो चुका है तो दावा के सम्बंध में अपने अधिवक्ता से कोई सूचना क्यों नहीं ली गई, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, जबकि निर्णय नगर परिषद के अधिवक्ता की उपस्थिति में पारित हुआ है। इसके अलावा दिनांक 27.02.2018 के पश्चात् अपीलांट द्वारा क्या कार्यवाही की गई, ऐसा भी कोई उल्लेख नहीं है। उक्त पत्र में

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

दो बार आवेदन उपखण्ड अधिकारी के समक्ष करने के कथन किये गये है वह कौनसी दिनांक को किये गये है, कोई उल्लेख नहीं है तथा ना ही उक्त आवेदन की प्रति प्रस्तुत की गई है। अपीलाधीन निर्णय की प्रति का अवलोकन करने पर उसमें उक्त नकल पत्र क्रमांक 15.03.2018 के आधार पर जारी हो, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। नकल नगरपालिका के लिपिक द्वारा प्राप्त की गई है तो पूर्व में भी नगरपालिका लिपिक के जरिये नकल प्राप्त कर सकती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलांट उक्त प्रकरण के प्रति सजग नहीं रहा है। उक्त परिस्थितियों में अपीलांट का प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम खारिज होने योग्य है।

7. अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज होने के कारण अपील भी खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 08.2.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/2/23

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़